

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 403] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 1983/आश्विन 13, 1905
[No. 403] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 1983/ASVINA 13, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विन्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1983

सं 286/83-सीमा-शुल्क

भा. का. नि. 786(अ) —सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं 84-86 (1) की मद (घ) की उप-मद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधि-

सूचना सं. 269-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (10) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(11) नव सेवा पत्तन परियोजना ।” ।

[फा. सं. 360/3/83-सीमा-शुल्क-1]

आनन्द छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1983

No. 286/83-CUSTOMS

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of item (d) of Heading No. 84.66 (i) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 269-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, after Serial No. (10) and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“(11) The Nhava Sheva Port Project”.

[F. No. 360/3/83-Cus. I]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.